



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1436/JH/4/2023-ESDW

दिनांक: 13.04.2023

श्री राहुल कुमार सिन्हा,  
उपायुक्त,  
जिला - रांची,  
समाहरणालय कार्यालय,  
जिला - रांची,  
झारखण्ड  
ई मेल: dc-ran@nic.in


श्री किशोर कौशल,  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
जिला - रांची,  
झारखंड पुलिस मुख्यालय,  
धुर्वा, जिला - रांची,  
झारखण्ड - 834004  
ई मेल: ssp-ranchi@jhpolicе.gov.in

**विषय:** अशिक्षित एवं गरीब आदिवासी द्वारा ऑनलाइन प्राथमिकी दायर करने के बाद भी किसी प्रकार की करवाई न किए जाने के संबंध में श्री मोरहा टोप्पो, पिता स्व. कड़िया उराँव, ग्राम - बड़ाम कुआँ टोली, पोस्ट - महिलौंग, थाना-टाटीसिल्वे, जिला- रांची, झारखण्ड- 835103 का दिनांक 03.02.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री मोरहा टोप्पो से दिनांक 03.02.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि:

  
(एच. आर. मीना)  
(अनुसंधान अधिकारी)

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री मोरहा टोप्पो,  
पिता स्व. कड़िया उराँव,  
ग्राम - बड़ाम कुआँ टोली,  
पोस्ट - महिलौंग, थाना-टाटीसिल्वे,  
जिला- रांची, झारखण्ड- 835103
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।